

Papers laid on the Table of the House by Ministers/Members

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर - 3, श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव जी ।

? (व्यवधान)

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) (एक) लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर के वर्ष 2022- 2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर के वर्ष 2022- 2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 565/18/24]

(3) सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 52 के अंतर्गत सरोगेसी (विनियमन) संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 21 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 119(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 566/18/24]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 19 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण, गांधीनगर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 567/18/24]

(2) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खते) (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 23 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफईएमए.10 आर(3)/2024-आरबी में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भुगतान माध्यम और गैर-कर्ज लिखतों की रिपोर्टिंग) (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 23 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफईएमए.395(2)/2024-आरबी में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) (चौथा संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 06 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफईएमए.5(आर)/(4)/2024-आरबी में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, See No. LT 568/18/24]

(3) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) का.आ.3058(अ) जो दिनांक 31 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना सं. 36/2001-सीमाशुल्क (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) का.आ.456(अ) जो दिनांक 29 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 30 अप्रैल, 2022 की अधिसूचना सं. 22/2022-सीमाशुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 569/18/24]

(4) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत तदर्थ छूट आदेश 2024 का संख्यांक 5 दिनांक 23 जुलाई, 2024, जिसके द्वारा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा लाइबेरेट हैवी लिफ्ट क्रॉलर क्रेन (मॉडल: एलआर 1350/1, क्रम सं. 074113) की एक इकाई के पुनः आयात हेतु सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25(2) के निबंधनों के अंतर्गत सीमाशुल्क के भुगतान से छूट प्रदान की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 570/18/24]

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE;
AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS
(SHRIMATI ANUPRIYA PATEL):** Hon. Speaker Sir, with your permission, I rise to lay on the Table:-

(1)

A copy of the Output Outcome
Monitoring Framework (Hindi and

English versions) of the Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers for the year 2024-2025.

[Placed in Library, See No. LT 571/18/24]

(2)

(i)

(ii)

(3)

Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

[Placed in Library, See No. LT 572/18/24]

(4)

(i)

(ii)

(5)

Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (4) above.

[Placed in Library, See No. LT 573/18/24]

(6)

(i)

(ii)

(7)

Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (6) above.

[Placed in Library, See No. LT 574/18/24]

(8)

(i)

(ii)

(iii)

(9)

Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (8) above.

[Placed in Library, See No. LT 575/18/24]

(10)

(i)

(ii)

(11)

Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (10) above.

[Placed in Library, See No. LT 576/18/24]

(12)

A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a)

(i)

(ii)

[Placed in Library, See No. LT 577/18/24] (i)

(b)

(ii)

[Placed in Library, See No. LT 578/18/24] (i)

(c)

(ii)

[Placed in Library, See No. LT (i)
579/18/24]

(d)

(ii)

[Placed in Library, See No. LT (i)
580/18/24]

(e)

(ii)

[Placed in Library, See No. LT (i)
581/18/24]

(f)

(ii)

[Placed in Library, See No. LT (i)
582/18/24]

(g)

(ii)

[Placed in Library, See No. LT (i)
583/18/24]

(h)

(ii)

[Placed in Library, See No. LT (i)
584/18/24]

(i)

(ii)

[Placed in Library, See No. LT (i)
585/18/24]

(j)

(ii)

[Placed in Library, See No. LT
586/18/24]

(i)

(k)

(ii)

[Placed in Library, See No. LT
587/18/24]

(i)

(l)

(ii)

[Placed in Library, See No. LT
588/18/24]

(i)

(m)

(ii)

(13)

Thirteen statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (12) above.

[Placed in Library, See No. LT
589/18/24]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS (SHRI SHANTANU THAKUR): Hon. Speaker Sir, I rise to lay on the Table a copy of the Board of Major Port Authority for Deendayal Port (Meetings and Transactions of Business) Regulations, 2023 (Hindi and English versions) published in Notification No. LW/GN/2790/2024/001 in Gazette of India dated 8th April, 2024 under section 73(A) of the Major Port Authorities Act, 2021.

[Placed in Library, See No. LT 590/18/24]

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सावित्री ठाकुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ :

(1) (एक) केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 591/18/24]

12.04 hrs